उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन), कालाकांकर हाउस,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

विज्ञापन सं.6312/उ.प्र. रेरा/सहा.निदे.आई.टी./2025–26 दिनांकः20 जून, 2025

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) में सहायक निदेशक (आई.टी.) के पद पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापन

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) में प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के माध्यम से 01 सहायक निदेशक (आई.टी.) वेतनमान 56100–177500 वेतन मैट्रिस लेवल–10 की आवश्यकता है। उक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निम्नवत् हैः–

'किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.सी.ए./बी–टेक कम्प्यूटर साइंस की उपाधि तथा किसी भी सरकारी संगठन में प्रोग्रामिंग से सम्बन्धित 05 वर्ष का अनुभव।'

उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इस पद की सेवा शर्ते तथा आवेदन का प्रारूप उ.प्र. रेरा की वेबसाईट **https://up-rera.in** पर दिनांक 23–06–2025 से उपलब्ध रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा उ.प्र. रेरा की वेबसाईट **https://up-rera.in** के **CAREER** लिंक पर जाकर दिनांक 23–06–2025 से दिनांक 10–07–2025 की सांय 05:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

सचिव

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन)

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

संख्याः6312(1)/यू.पी.रेरा / सहा.निदे.आई.टी. / 2025–26 दिनांकः 20 जून, 2025

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) में सहायक निदेशक (आई.टी.) के पद पर प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने हेतु सेवा शर्तें

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन के माध्यम से सहायक निदेशक (आई.टी.) की सेवा शर्तें निम्नवत हैः–

1. प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित किए जा रहे पद पर पुनर्नियोजन के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 60 से 62 वर्ष के मध्य होनी चाहिए एवं दिनांक 10–07–2025 को 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित किए जा रहे पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
3. प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित पद में प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में शासकीय नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आवेदक को पत्र के साथ साक्षात्कार की तिथि को नियोक्ता / सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि कार्मिक के विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनिक जाँच एवं सर्तकता जाँच प्रचलित नहीं है।
4. प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित पद में पुनर्नियोजन के माध्यम से चयनित कार्मिक को अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले हो, तक आबद्ध किया जाएगा।
5. पुनर्नियोजन की दशा में अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजकीय चिकित्सालय से चिकित्सीय परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन की दशा में वेतन / मानदेय का भुगतान उ.प्र. राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु विद्यमान नियमों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित पद के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में चयन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही की सूचना अभ्यर्थियों के ई–मेल / मोबाइल नम्बर पर दी जाएगी एवं उ.प्र. रेरा की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
8. किसी या सभी आवेदन पत्रों को बगैर कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष प्राधिकरण में निहित होगा।
9. केवल अर्ह एवं शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

10. प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के निमित विज्ञापित पद हेतु निर्दिष्ट वेतनमान एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल के पद धारक ही अर्ह होंगे।

11. प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित पद के सापेक्ष अभ्यर्थियों के किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत पत्राचार को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि आवेदन के उपरान्त किसी भी प्रकार की सूचना हेतु वेबसाइट एवं अपनी ई–मेल आई.डी. को नियमित रूप से देखें।

(महेन्द्र वर्मा)
सचिव